Serial No. 13624 Circle:-:Danapur Book No. :- 1 Deed No. 13349

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR T 625935

Serial No. 13624 Deed No. 13349

Govt. of Bihar

Sub Registry Office ,Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **29/12/2015** by **Bhola Rai**
A Stamp Duty of Rs. **285380**/- and other Fees of Rs. **20550**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **13349** in Book No. **1**, Volume No. **267** on pages from **332** to **351** and has been preserved in total **20** pages in C.D. No. **42** / Year **2015**

29/12/2015

Signature with Date
(**Dhananjay Kumar Rao**)
Registering Officer, **Danapur**

Date: 29/12/2015 Token No: 13726 /2015

बिहार सरकार



[redacted]

विकास कार्य एकरारनामा

यह विकास कार्य एकरारनामा जमीन मालिक एवं विकासक के बीच आज दिनांक 29-12-2015 ई० को निष्पादित हो रहा है ।

M-8102676928

29/12/2015

Scanned by CamScanner

1– लेख्यकारीगण का नाम एवं पूरा पता :–

(1) **श्री भोला राय** पिता का नाम श्री देव लाल राय, निवास स्थान ग्राम– रुपसपुर, पत्रालय– सहाय नगर, थाना– रुपसपुर, जिला– पटना, भारतीय नागरिक एराजी 4 कट्ठा

(2) **श्रीमती सुलेखा कुमारी** पिता का नाम श्री भोला राय, निवास स्थान ग्राम– परसा, थाना– परसा बाजार, जिला–पटना, भारतीय नागरिक एराजी 1 कट्ठा

(3) **श्रीमती शोभा देवी** पति का नाम श्री मुकेश राय, साकिन– अनिशाबाद रघुनाथ टोला, पोस्ट– अनिशाबाद, थाना– गर्दनीबाग, जिला– पटना, पिन कोड 800002 भारतीय नागरिक एराजी 15 धूर

(4) **श्रीमती मंजू देवी** पति का नाम श्री नागेन्द्र राय,

(5) **श्री नागेन्द्र कुमार** पिता का नाम श्री राम नरेश राय, दोनो का साकिन वो थाना– जक्कनपुर, पोस्ट– जी0पी0ओ0 जिला– पटना, भारतीय नागरिक एराजी 15 धूर जिसे आगे भू–स्वामी प्रथम पक्ष कहा गया है, इसमें इनके उत्तराधिकारीगण कानूनी प्रतिनिधि स्थापन वगैरह सम्मिलित है

2– लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता :

KIRAN BUILTECH PVT. LTD. जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निबंधित, जिसका निबंधन सं0– U45400BR2012PTC019452 पता– आनन्दपुरी पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, पटना, द्वारा प्रबंध निर्देशक कुमार अमन पिता श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह साकिम– आनन्दपुरी पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, पोस्ट– जी0पी0ओ0, थाना– श्रीकृष्णापुरी, जिला– पटना – – द्वितीय पक्ष ।

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

Kiran Builtech Pvt. Ltd.
Kumar Aman
Managing Director

Scanned by CamScanner

3– लेख्य प्रकार :

डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट ।

4– सम्पत्ति का मूल्य :

मो0 1,42,19,000/– रूपया (एक करोड़ बेयालीस लाख उन्नीस हजार रूपया) मात्र ।

5– सम्पत्ति का विवरण :

मवाजी 6 कट्ठा 10 धूर (छः कट्ठा दस धूर) एराजी हकियत कास्त रैयती कायमी नगदी वाके मौजा धनौत, महाल– कुसुमपुरम कॉलोनी, तौजी नं0– 5556, थाना नं0–20, खाता नं0– 309 (तीन सौ नौ), सर्वे खेसरा प्लौट नं0– 52 (बावन) का अंश है, परगना–फुलवारी, जिसका सर्वे थाना– दानापुर हाल थाना– रुपसपुर, जिला– पटना वो अन्दर दानापुर नगर परिषद निजामत, सब रजिस्ट्री– दानापुर वो सदर रजिस्ट्री वो जिला– पटना के अन्तर्गत है, लगान वार्षिक मो0 2/– रूपया अलावे सेस बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी– दानापुर । लेख्यकारी नं0–1 का जमाबन्दी नं0– 134 सन् 1995–1996 ई0 वो लेख्यकारिणी नं0–2 का जमाबन्दी नं0– 9065 सन् 2012–2013 वो लेख्यकारिणी नं0– 3 का जमाबन्दी नं0– 9571 सन् 2013–2014 एवं दाखिल खारीज वाद सं0– 3539/13–14 जिसका चौहद्दी इस प्रकार है:–

उत्तर : देवेन्द्र सिंह ।

दक्षिण : नीज भोला राय ।

पूरब : कुसुम पुरम गृह निर्माण समिति लि0 ।

पश्चिमः बीस फीट चौड़ा रोड ।

संदर्भ

हकियत यह है कि इस डेवलपमेंट एग्रीमेंट के खाने संख्या – 5 में वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारी नं0– 1 ने एराजी 62.5 डीसमल जमीन को

अवर निबंधन कार्यालय

Kiran Buildtech Pvt. Ltd.
Managing Director

Scanned by CamScanner

दिनांक 22–03–1978 ई0 को नविस्ते श्रीमती धनेश्वरी देवी पति श्री दीप नारायण राय वो सुपुत्री श्री राम पुकार सिंह साकिन– सहबाजपुर अल्हनपुरा, थाना– बिहटा, जिला– पटना हाल साकिन– रूपसपुर, थाना– दानापुर, जिला– पटना से बैय खरीद किया है, जिसका बुक नं0– 1, जिल्द नं0– 17, पेज नं0– 326 से 330, वसीका नं0– 1013 निबंधन कार्यालय दानापुर है। वो लेख्यकारिणी नं0–2 की नैहरी सम्पत्ति जो लेख्यकारिणी नं0–2 को अपने पिता श्री भोला राय वल्द श्री देवलाल राय से आपस में बंटवारा यानि तकसीमनामा के द्वारा दिनांक 13–04–1998 ई0 एराजी 15 धूर प्राप्त हुआ है। जिसका बुक नं0– 1, वसीका नं0– 1565 सिरियल नं0– 1665 निबंधन कार्यालय दानापुर है वो लेख्यकारिणी नं0–3 की नैहरी सम्पत्ति है, जो लेख्यकारिणी नं0–3 को अपने पिता श्री भोला राय वल्द श्री देवलाल राय से आपस में बंटवारा यानि तकसीमनामा के द्वारा एराजी 15 धूर प्राप्त हुआ है, वो लेख्यकारी नं0– 4 की नैहरी वो लेख्यकारी नं0– 5 की ससुराली जायदाद है। जो लेख्यकारी नं0– 4 वो 5 को बंटवारा से प्राप्त हुआ है । इस प्रकार लेख्यकारीगण भू–स्वामी काबिज दखिल वो मालिक मुस्तकिल चले आ रहे है और बिहार सरकार का लगान लेख्यकारीगण अपने–अपने नाम से रसीद कटाकर चुकाते चले आ रहे है । लेख्यकारीगण प्रथम पक्ष जरूरत वास्ते अपना निवास स्थान व आर्थिक लाभ लेख्यकारीगण प्रथम पक्ष खाने संख्या– 5 में वर्णित सम्पत्ति पर एक बहुमंजिला आवासीय भवन बनवाना चाहते हैं जिसके लिए उक्त लेख्यकारीगण भू–स्वामी ने कई व्यक्तियों वो कम्पनियों से बातचीत की और वे किसी ऐसे डेवलपर कम्पनी के खोज में थे जो अपने खर्चे से उपरोक्त जमीन पर एक बहुमंजिला आवासीय भवन का निर्माण कर सके और भू–स्वामी लेख्यकारीगण को उक्त सम्पत्ति के मूल्य के बराबर कीमत के रूप में उसी आवासीय भवन का निर्मित भाग फ्लैट वो कार पार्किंग स्थल के रूप में दे सकें।

उपरोक्त लेख्यधारी डेवलपर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भू–स्वामी लेख्यकारीगण को इसका एक प्रस्ताव दिया जिसे लेख्यकारीगण ने इस तरह से उपयुक्त समझकर अपनी स्वीकृति दे दी

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

Rhea Buildtech Pvt. Ltd.
Managing Director

Scanned by CamScanner

और इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई वो इस डेवलपमेंट एग्रीमेंट को निम्नांकित शर्त्तों पर अनुबंधित किया जो इस प्रकार है ।

1. यह कि उपरोक्त लेख्यकारीगण भू–स्वामी ने उपरोक्त लेख्यधारी डेवलपर को अपने इस वसीका के खाने संख्या – 5 में वर्णित सम्पत्ति का डेवलपर नियुक्त करते हैं, जिसे लेख्यधारी डेवलपर ने भी स्वीकृत किया वो उक्त सम्पत्ति, जिसका सम्पूर्ण विवरण इस वसीका के खाने संख्या– 5 में वर्णित हैं, को विकसित कर निम्न शर्त्तों के आधार पर एक आवासीय बहुमंजिले भवन का निर्माण करेंगे।

2. यह कि लेख्यधारी डेवलपर वो लेख्यकारीगण भू–स्वामी आपस में सहमत हुए कि उक्त भवन का निर्माण दानापुर नगर परिषद के द्वारा स्वीकृत नक्शे के अधार पर ही किया जायेगा ।

3. यह कि इस डेवलपमेंट एग्रीमेंट को हस्ताक्षरित करने के तुरंत बाद से ही डेवलपर प्रस्तावित भवन का नक्शा इत्यादि बनाना शुरू कर देंगे।

4. यह कि भू–स्वामी प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा यदि प्रस्तावित भवन का नक्शा भू–स्वामी के नाम से दानापुर नगर परिषद में अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार में स्वीकृति हेतू जमा किया जाता है अथवा किसी प्रकार का अनुमति या स्वीकृति भू–स्वामियों के नाम से प्राप्त किया जाये बशर्त्ते कि सभी शुल्क, एवं खर्च डेवलपर द्वितीय पक्ष के द्वारा वहन किया जाय ।

5. यह कि भू–स्वामी इस बात से सहमत हैं कि प्रस्तावित भवन के नक्शे में मामूली फेर–बदल दानापुर नगर परिषद के उपबंधों के नियमावली के अन्तर्गत आवश्यक हो तो इसके लिए भू–स्वामी की अनुमति व स्वीकृति आवश्यक नहीं होगा और डेवलपर को यह अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार नक्शे में परिवर्तन कर सकते हैं जो भू–स्वामी को मान्य होगा।

6. यह कि भू–स्वामी के द्वारा डेवलपर व उनके द्वारा नामित व्यक्तियों, फर्म, कम्पनियों अथवा कॉपरेटिव सोसाइटी वो व्यक्तियों के समूह को हर तरह से पाक वो साफ वो हर तरह के वारदैन से मुक्त

Ranjan Buildcon Pvt. Ltd.
Managing Director

सीमा देवी पत्नी श्री राम देव पांडेय 25-12-2015

भंडु देवी पत्नी स्व० रामदेव पांडेय 29-12-2015

दानापुर छपरा 29/12/15

ज्ञा० राम शंकर पांडेय पिता स्व० रामदेव पांडेय ग्राम व पो० दानापुर थाना व अंचल दानापुर जिला पटना 25-12-2015

उक्त सम्पत्ति का 50 (पचास) प्रतिशत अविभाजित भाग जमीन जो विक्रय–पत्र वो वसिका केवाला वैयलाकलामी लिख देंगे वो निबंधित कर देंगे।

7. यह कि उक्त सम्पत्ति भूमि के 50 (पचास) प्रतिशत अविभाजित भाग जमीन डेवलपर वो उनके नामांकित व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरित करने के एवज में डेवलपर द्वारा भू–स्वामी को बतौर कीमत उक्त प्रस्तावित भवन के कुल निर्मित क्षेत्र का 50 (पचास) प्रतिशत निर्मित भाग फ्लैटों वो कार पार्किंग स्थलों के रूप में दिया जायेगा जो आगे 'भू–स्वामी का भाग' के नाम से उल्लेखित होगा। यह 'भू–स्वामी का भाग' प्रत्येक तल पर एवं प्रत्येक दिशा में वितरित होगा या दोनों पक्ष आपसी सहमति से तय करेंगे ।

8. यह कि नक्शा स्वीकृत होने के बाद दोनो पक्ष शेयर का बंटवारा आपस में करेंगे ।

9. यह कि उक्त प्रस्तावित भवन का 50 (पचास) प्रतिशत भाग जो भू–स्वामी के भाग के अलावे होगा वह आगे 'डेवलपर का भाग' के रूप में उल्लेखित होगा जिसके ऊपर डेवलपर का सम्पूर्ण अधिकार होगा, परन्तु कॉमन स्पेस संयुक्त रूप से दोनों पक्षों का होगा।

10. यह कि भू–स्वामी प्रथम पक्ष को अपने वारिशान वो उत्तराधिकारीगण वो उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति वो व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामुहिक रूप से यह पूरा अख्तियार वो अधिकार होगा कि भू–स्वामी के भाग पर काबिज, दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहेंगे और वे जिस प्रकार से चाहें भू–स्वामी के भाग वो उसके अंश भाग को उपयोग वो उपभोग करें, अपने उपभोग में लावे अथवा विक्रय वो हस्तांतरण, लीज वो पट्टा वो जिस प्रकार से चाहें वो उचित समझें अपने शर्त्त पर व्यक्तिगत वो सामुहिक रूप से निर्णय ले सके वो व्यवस्था कर सकेंगे।

11. यह कि इसी प्रकार डेवलपर द्वितीय पक्ष को व्यक्तिगत वो सामूहिक रूप से यह पूरा अख्तियार वो अधिकार होगा कि अपने भाग डेवलपर का भाग पर निर्विवाद हक वो अधिकार के साथ अपने वारिशान,

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

Kiran Buildtech Pvt. Ltd.
Managing Director

Scanned by CamScanner

उत्तराधिकारीगण वो अपने नामित व्यक्ति, फर्म, वो संस्था के साथ उक्त भाग पर काबिज, दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहेंगे और वे जिस प्रकार चाहें डेवलपर्स भाग वो उसके किसी भी अंश भाग का उपयोग करें व अपने उपयोग में लावे अथवा विक्रय, हस्तांतरण, लीज वो पट्टा वो जिस प्रकार से चाहें वो उचित समझे अपने शर्त्त पर व्यक्तिगत वो सामुहिक रूप से बिक्री कर सकें वो निर्णय ले सकें जिस प्रकार से चाहें वो उचित समझे अपने शर्त्त पर व्यक्तिगत वो सामुहिक रूप से निर्णय ले सकेंगे वो व्यवस्था कर सकेंगे। इसमें भू–स्वामी को किसी प्रकार का कोई एतराज वो उजुर नहीं होगा।

12. यह कि डेवलपर इस बात से सहमत हैं कि उक्त भू–खण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के 3 (तीन) वर्ष के अन्दर भू–स्वामी को उनके हिस्से का अधिपत्य सौंप दिया जायगा। यदि डेवलपर 3 (तीन) वर्ष के अन्दर भू–स्वामी के भाग का निर्माण कर उसका दखल कब्जा भू–स्वामी को नहीं दे पायेंगे तो डेवलपर को भू–स्वामी के भाग का बीस हजार रूपया विलम्ब शुल्क के रूप में प्रति माह देना होगा । भू–स्वामी द्वारा इस बात की सहमति हुई और स्वीकार किया गया कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं, विपत्तियों अथवा वैसी परिस्थितियों जो डेवलपर के अख्तियार से बाहर होगा जैसे कि बाढ़, आगजनी, दूर्घटना, हड़ताल, तालाबंदियों अथवा असामान्य मौसम या परिस्थितियों अथवा किसी दैविक प्रकोप के कारण जितना समय का नुकसान होगा उसके लिए डेवलपर को अलग से समय दिया जायेगा ओर इस समय को उक्त निर्माण के समय 3 (तीन) वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा। किसी अन्य कारणवश यदि डेवलपर 3 (तीन) वर्ष के अन्दर 'भू–स्वामी के भाग' का निर्माण कर उसका दखल कब्जा भू–स्वामी को नहीं दे पायेंगे तो डेवलपर मो0 20,000/– रूपया (बीस हजार रूपया) प्रति माह के दर से भू–स्वामी को क्षतिपूर्ति/हर्जाना के रूप में देंगे।

15. यह कि भू–स्वामी द्वारा यह सहमति और घोषणा किया गया कि डेवलपर द्वारा ऊपर वर्णित खण्ड– 8 के अनुसार उक्त प्रस्तावित भवन में दिया गया भू–स्वामी का भाग उक्त सम्पत्ति के 50 (पचास)

Kiran Buildtech Pvt. Ltd.
Managing Director

प्रतिशत अविभाजित जमीन का हक वो स्वत्व के विक्रय वो हस्तांतरित करने के लिए पूर्ण वो उचित मूल्य समझा जायेगा, जिसे भू–स्वामी ने उक्त मूल्य वो कीमत पर डेवलपर वो उनके द्वारा नामित व्यक्ति, फर्म, वो संस्था को विक्रय वो हस्तांतरित करने की सहमति दी है।

16. यह कि भू–स्वामी द्वारा भविष्य में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी माँग नहीं किया जायेगा और डेवलपर के भाग को बेचने से संबंधित जब भी किसी प्रकार का कोई भी कागज वो वसिका बनाना वो हस्ताक्षरित करना आवश्यक होगा वो समझा जायेगा उसे भू–स्वामी द्वारा बिना किसी शर्त्त वो टालमटोल के करना होगा वो करने के लिए बाध्य समझे जाएंगे। इसमें भू–स्वामी को किसी प्रकार का कोई एतराज वा उजूर नहीं है और नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार भू–स्वामी का भाग को बेचने संबंधी किसी कागजात के निष्पादन में डेवलपर व्यवधान नहीं करेंगे।

17. यह कि यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट किसी भी हालत में दोनों पक्षों के बीच साझेदारी नहीं समझा जायेगा।

18. यह कि भू–स्वामी के भाग का दखल कब्जा हो जाने के बाद भू–स्वामी वो उनके द्वारा नामित व्यक्ति, फर्म, वो संस्था एवं डेवलपर वो उनके द्वारा नामित व्यक्ति, फर्म, वो संस्था उक्त जमीन के सम्पूर्ण भाग पर संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से के अनुपात में अविभाजित हक वो स्वत्व में समझे जाएंगे वो रहेंगे। यानि कि 50 प्रतिशत भू–स्वामी का एवं 50 प्रतिशत डेवलपर (विकासक) का होगा ।

19. यह कि भू–स्वामी ने आज से एग्रीमेंट के बाद डेवलपर को उक्त सम्पत्ति वो जमीन का दखल कब्जा वो खास लाईसेंस मंजूर किया वो दिया ताकि उक्त सम्पत्ति पर विकास वो भवन निर्माण से संबंधित कार्यों को प्रारम्भ कर सके और उक्त प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य सम्पन्न कर सके।

20. यह कि भू–स्वामी ने यह सहमति दी और घोषणा किया कि आज से पहले वो बाद इस एग्रीमेंट के अलावे किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट वो व्यवस्था किया हुआ पाया जाये वो इस एग्रीमेंट के शर्त्तों के

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

Kiran Buildtech Pvt. Ltd.
Managing Director

विरूद्व हो तो उसे रद्द समझा जायेगा।

21.यह कि भू–स्वामी ने डेवलपर को यह आश्वासन दिलाया कि भू–स्वामी वो उनके वारिशान अब उक्त सम्पत्ति को न तो किसी से बेचेंगे और नहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन करेंगे और इस एग्रीमेंट के दौरान व बीच में कभी भी किसी प्रकार का कागज वो वसीका वो अन्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जो इस एग्रीमेंट के शर्त्तों के विरूद्व हो, सिवाय उक्त सम्पत्ति पर डेवलपर के दखल कब्जा देने के भू–स्वामी द्वारा भविष्य में कभी भी किसी प्रकार से उक्त सम्पत्ति से डेवलपर को बेदखल करने का प्रयास नहीं करेंगे ।

22. भू–स्वामी ने डेवलपर के समक्ष निम्नांकित घोषणा किया:–

क. यह कि उक्त सम्पत्ति निर्विवाद हक स्वत्व वो अधिकार के साथ खास उनके कब्जा दखल में है वो सभी प्रकार के वार–देन वो ऋण भार से मुक्त है ताकि उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण भाग वो किसी अंश वो किसी व्यक्ति, फर्म, वो संस्था को विक्रय वो हस्तांतरित किया जा सकता है और उक्त सम्पत्ति का स्वत्व पूर्ण रूप से बिक्री योग्य है।

ख. यह कि भू–स्वामी ने कभी भी उक्त सम्पत्ति पर किसी भी तरह का कोई भी ऋण वो लेन देन चाहे विक्रय, बंधक, पट्टा, बदलैन, ट्रस्ट वो लाईसेंस, किराया वो दखल कब्जा के माध्यम से नहीं किया है।

ग. यह कि उक्त सम्पत्ति पर किसी प्रकार का भू–अर्जन से संबंध्ति न तो भूत में नहीं वर्तमान में कोई नोटिस वो सूचना चाहे दानापुर नगर परिषद वो आयकर विभाग वो किसी अन्य सरकारी विभाग से प्राप्त हुआ है न ही ज्ञात है ।

घ. यह कि उक्त सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई परिवाद वो दावा वो माँग वो आदेश की सूचना नहीं है।

ड़0 यह कि उक्त सम्पत्ति पर उक्त भू–स्वामी के अलावे और किसी व्यक्ति का कोई अधिकार, हक वो स्वत्व नहीं हैं।

च. यह कि भू–स्वामी द्वारा उक्त सम्पत्ति का आज के

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

Kiran Buildtech Pvt. Ltd.
Managing Director

पहले कोई एग्रीमेंट, चाहे विक्रय हेतू या डेवलपमेंट हेतू नहीं किया गया है। अगर ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में आया तो, पूर्व में किये गये सभी एग्रीमेंट वो विक्रय को रद्द वो निरस्त समझा जायेगा।

छः यह कि विकासक भोला राय एवं तीनों बेटी एवं एक दामाद के हिस्सा में जो फ्लैट मिलेगा उसके लैट्रीन, बाथरूम में नल, कल हिन्दवेयर कम्पनी का लगाकर देंगे एवं डाईनिंग हॉल में बेसीन लगाकर देंगे एवं किचेन में स्टील का बेसीन, बाथरूम में बेसिन लगाकर देंगे ।

ज. यह कि भू–स्वामी के अलावा उक्त सम्पत्ति का कोई अन्य दावेदार नहीं है। यदि भविष्य में किसी तीसरे व्यक्ति, संस्था या अन्य द्वारा किसी भी प्रकार की कोई दावेदारी की जाती है तो उसकी भरपाई भू–स्वामी अपने हिस्से के 47 (सैंतालिस) प्रतिशत निर्मित क्षेत्र से ही करेंगे एवं डेवलपर को ऐसे किसी भी दावेदारी से मुक्त एवं हानिरहित रखेंगे।

23. भू–स्वामी द्वारा निम्नांकित कार्यों के लिए डेवलपर को आश्वासन दिया गया वो अधिकृत किया गया है :–

क. यह कि डेवलपर उक्त सम्पत्ति को अपने नाम वो खर्चे पर विकसित करेंगे वो डेवलपमेंट से संबंध्ति सभी कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी वो जिम्मेवार होंगे न तो भू–स्वामी और नहीं उनके द्वारा अन्य किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार वो अख्तियार होगा कि उक्त प्रस्तावित भवन के निर्माण में किसी प्रकार का दखलंदाजी करे।

ख. यह कि डेवलपर द्वारा प्रस्तावित भवन वो भवनों का निर्माण दानापुर नगर परिषद के द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किया जायेगा।

ग. यह कि डेवलपर को यह अधिकार होगा कि उक्त प्रस्तावित भवन का फ्लैट वो कार पार्किंग स्थल इत्यादि जो कि डेवलपर के भाग का हो उसे विक्रय वो हस्तांतरण करने के लिए किसी भी व्यक्ति, फर्म, वो संस्था के साथ कोई एग्रीमेंट वो अन्य किसी प्रकार का कोई अन्य वसिका इत्यादि हस्ताक्षरित कर सके। इसमें भू–स्वामी को कोई एतराज वो उजूर न है और न होगा।

अवर निबंधन कार्यालय
दानापुर (पटना)

Kiran Buildtech Pvt. Ltd.
Managing Director

Scanned by CamScanner

24. भू–स्वामी प्रथम पक्ष इस बात से सहमत हैं कि वे सभी प्रकार के अतिरिक्त खर्च जैसे बिजली मीटर कनेक्शन, जेनरेटर कनेक्सन, इन्टरकॉम कनेक्सन मेनटेनेन्स डिपोजिट वो लिफ्ट इत्यादि के लिए जो भी रकम सभी फ्लैट खरीदारों के लिए तय किया जाएगा उस अनुपात में डेवलपर को भुगतान करेंगे । इसमें भू–स्वामी किसी प्रकार का एतराज वो उजूर नहीं करेंगे ।

25. डेवलपर द्वितीय पक्ष के द्वारा भू–स्वामी को निम्नांकित आश्वासन दिया गयाः–

क. यह कि भवन का सम्पूर्ण निर्माण डेलवपर के खर्च से किया जाएगा। भू–स्वामी को भवन निर्माण में कुछ नहीं देना है यानि कि कोई भी भवन निर्माण के सामग्री के लिए जमीन मालिक से दावा नहीं करेंगे या भुगतान नहीं लेंगे।

ख. यह कि डेवलपर कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे भू–स्वामी के अधिकार, हक वौ स्वत्व को किसी प्रकार का नुकसान हो वो हानि पहुँचे, खासकर तबतक जबतक कि भू–स्वामी के भाग का दखल कब्जा उनको नहीं दी जाती है।

ग. यह कि डेवलपर भू–स्वामी को हमेशा हर प्रकार के हानियों से बचाकर रखेगा ।

घ. यह कि सम्पूर्ण निर्माण समयानुसार व समय के अन्दर किये जाएंगे ।

26. यह कि उक्त प्रस्तावित भवन के निर्माण के बीच डेवलपर वो उनके द्वारा नामित व्यक्ति, फर्म, वो संस्था को उक्त निर्माण अथवा फ्लैट के विरूद् कभी भी ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है जिसके लिए उक्त सम्पत्ति का 50 (पचास) प्रतिशत निर्मित क्षेत्र फ्लैट वो कार पार्किंग को बंधक के तौर पर किसी बैंक वो वित्तीय संस्था में रखा जा सकता है किन्तु 50 (पचास) प्रतिशत भू–स्वामी के हिस्से के फ्लैट वो जमीन पर ऋण नहीं लेंगे। इसमें भू–स्वामी को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगी और आवश्यकता पड़ने पर सहमति पत्र प्रदान करेंगे।

27. भू–स्वामी प्रथम पक्ष, डेवलपर के अधिकृत अधिवक्ता को

Kiran Buildtech Pvt. Ltd.
Managing Director

Scanned by CamScanner

सभी वास्तविक वो असली कागज का प्रमाणित प्रतिलिपि जो उक्त सम्पत्ति से संबंधित हो, उपलब्ध करावेंगे वो आवश्यकता पड़ने पर असली वो मूल दाखिल खारिज आदेश, रशीद, वसिका, दस्तावेज वो कागजात निकाल कर निरीक्षण करवायेंगे वो भू–स्वामी, डेवलपर के अधिवक्ता को हर प्रकार से मदद वो सहायता करेंगे वो अधिवक्ता द्वारा किये गये वांछित प्रश्नों का उत्तर दिया जायेगा ताकि उक्त सम्पत्ति का हक वो स्वत्व विक्रय योग्य स्थापित किया जा सके।

28. यदि उक्त सम्पत्ति या इसके किसी भाग पर हक वो स्वत्व से संबंधित किसी प्रकार का नुक्स वो दोष पाया गया वो पाया जायेगा वो किसी प्रकार का लेन देन वो बारदैन पाया गया तो ऐसे परिस्थिति में भू–स्वामी का यह दायित्व होगा कि डेवलपर के द्वारा किया गया सभी खर्च वो लागत जो भू–स्वामियों के बदले में डेवलपर द्वारा किया गया उसे भू–स्वामी द्वारा चुकता कर दिया जायेगा।

29. भू–स्वामी द्वारा यह सहमति दी गयी वो स्वीकृत किया गया कि यदि किसी भी समय उक्त सम्पत्ति या उसके किसी भी भाग पर किसी प्रकार का हक वो स्वत्व वो अधिकार से संबंधित कोई नुक्स वो दोष के कारण वो अन्य किसी भी कारण यदि डेवलपर को उक्त प्रस्तावित भवन के निर्माण से वंचित होना पड़ा तो ऐसी परिस्थिति में प्रथमतः समस्या का समाधान भू–स्वामी एवं डेवलपर मिलकर करने का प्रयास करेंगे एवं असफल रहने पर भू–स्वामी का यह दायित्व होगा कि डेवलपर द्वारा उक्त प्रस्तावित भवन के निर्माण संबंधी किया गया सभी खर्च वो लागत का भुगतान, बिना किसी ब्याज के भू–स्वामी द्वारा डेवलपर को कर दिया जायेगा।

30. भू–स्वामी और डेवलपर दोनों ने स्वीकार किया कि आज डेवलपमेंट एग्रीमेंट की तिथि से पहले तक उक्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण कर, लगान, वो बकाया राशि का भुगतान भू–स्वामी द्वारा वो आज के बाद भू–स्वामियों के भाग (निर्मित भाग) का दखल कब्जा भू–स्वामी को देने तक सभी कर, लगान इत्यादि का भुगतान डेवलपर द्वारा वो भू–स्वामी के भाग का दखल कब्जा देने के बाद दोनों पक्षों वो उनके नामित व्यक्तियों,

Kiran Buildtech Pvt. Ltd.
Managing Director

Scanned by CamScanner

फर्मों वो संस्थाओं द्वारा अपने–अपने निर्मित अंश भाग के अनुपात में किया जायेगा।

31. भू–स्वामी के निर्मित भाग 50 (पचास) प्रतिशत का दखल कब्जा प्राप्त होने के बाद भू–स्वामी द्वारा डेवलपर वो उनके नामित व्यक्तियों के पक्ष में उक्त सम्पत्ति का 50 (पचास) प्रतिशत अविभाजित भाग जमीन का विक्रय पत्र वो वसीका केवाला वैयला कलामी, हर प्रकार से पाक वो साफ वो हर प्रकार के वार–दैन से मुक्त जमीन का निबंधन कर दिया जायेगा।

32. डेवलपर द्वितीय पक्ष जैसा उचित समझें एक कॉपरेटिव सोसाइटी/ एसोसिएसन का गठन करेंगे जिसमें सभी फ्लैटधारीगण वो भू–स्वामी इसके सदस्य होंगे तथा डेवलपर वो भू–स्वामी इसके नामित व्यक्ति वो अन्य सभी चाहे किरायेदार हो या कोई एजेंट या किसी का नौकर इस संस्था के नियम वो उपबंधें को मानने के लिए बाध्य होंगे और इस संस्था के गठन से संबंधित सभी खर्च का, अपने–अपने निर्मित भाग के अनुपात में वहन करेंगे।

34. इस डेवलपमेंट एग्रीमेंट से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होने पर उसका निपटारा दोनों पक्षों द्वारा चुने गये पंच वो निर्णायक द्वारा भारतीय आरबीट्रेशन एक्ट के तहत किया जायेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा तथा सभी विवादों का निपटारा दानापुर नगर परिषद में होगा।

इस वास्ते यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट लिख दिया ताकि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहें।

34. यह कि विकासक पूरे अपार्टमेन्ट के फ्लैट में एक नम्वर ईट का प्रयोग करेंगे एवं विकासकर्ता अपने खर्च से पानी के लिये बोरिंग मशीन से लगायेंगे ।

35. यह कि बिजली का कनेक्शन विकासकर्ता अपने खर्च से पूरे अपार्टमेन्ट में लगायेंगे एवं लेख्यकारीगण के सभी फ्लैट में मीटर भी लगायेंगे एवं लिफ्ट भी विकासकर्ता अपने खर्च से लगायेंगे ।

36. यह कि अपार्टमेन्ट का नाम "भोला राय" रहेगा जो बोर्ड

Rhan Buildtech Pvt. Ltd.
Managing Director

Scanned by CamScanner

बनाकर पेंट से लिखकर या स्टील से बनाकर भोला राय अपार्टमेन्ट लिखेंगे एवं गेट पर भी लिखेंगे नहीं लगायेंगे तो दस हजार महीना दण्ड भुगतान करना होगा ।

37. यह कि विकासकर्ता लेख्यकारीगण के लिये चार फीट चौड़ा सिढ़ी बनाकर देंगे जो उपरी तल्ला तक जायेगा जो नक्शा के अनुसार पास होगा एवं रेलिंग में स्टील का पाईप लगायेंगे ।

38. यह कि विकासक जमीन मालिक के हिस्से के फ्लैट का तीन कोट पेन्ट कराकर देंगे यानि P.O.P, प्राईमर एवं पेंट करके देंगे एवं किवाड़ खिड़की में भी तीन कोट पेंट करेंगे ।

39. यह कि जमीन मालिक के कार पार्किंग के हिस्से में ढ़लाई करके उसके उपर सिमेन्ट का ईट लगायेंगे एवं सभी फ्लैट में मार्बल राजस्थान के मकराना का लगायेंगे ।

40. यह कि विकासक जमीन मालिक भोला राय एवं तीन बेटी के फ्लैट के हिस्से में वायरिंग,मीटर प्रत्येक फ्लैट में लगाकर देंगे ।

41. जमीन मालिक के हिस्से के प्रत्येक फ्लैट में गीजर का प्वाईट एवं भोला राय के मिले एक फ्लैट में गीजर लगाकर देंगे ।

42. यह कि विकासक अपने हिस्से के मिले फ्लैट को बिक्री करेंगे तो हर प्रकार का टैक्स स्वयं वहन करेंगे एवं जमीन मालिक के हिस्से के फ्लैट का सर्विस टैक्स 50 प्रतिशत मिले हुए फ्लैट में बिक्री करने पर स्वयं देंगे ।

43. यह कि जमीन मालिक के हिस्से के फ्लैट में लैट्रीन, बेसीन, किचन, विकासकर्ता को अपने खर्च से लगाकर देना हैं जमीन मालिक भवन निर्माण का कुछ भी सामग्री नहीं देंगे ।

44. यह कि पूरे अपार्टमेन्ट का चाहरदिवारी विकासक सात फीट उॅचा अपने खर्च से करेंगे एवं एक नम्बर ईट का प्रयोग करेंगे ।

45. यह कि जमीन मालिक के हिस्से के प्रत्येक फ्लैट में दो बेसीन, एवं नल, गर्म ठंढा पानी लगायेंगे एवं छत पर डबल टंकी जमीन मालिक को विकासकर्ता लगाकर देंगे।

46. यह कि उक्त अपार्टमेन्ट में अग्नि शमन की व्यवस्था

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

Khan Buildtech Pvt. Ltd.
Managing Director

Scanned by CamScanner

विकासक अपने खर्च से करेंगे ।

47. यह कि अपार्टमेन्ट में ट्रान्सफर्मर विकासकर्ता अपने खर्च से लगायेंगे एवं लिफ्ट भी विकासकर्ता लगायेंगे ।

48. यह कि इस डेवलपमेंट एग्रीमेंट को लेख्यकारीगण वो लेख्यधारी दोनों पक्षों द्वारा तैयार किया गया है जिसे दोनो पक्षों ने पढ़कर वो पढ़वाकर समझ लिया वो आज दिनांक 29 माह दिसम्बर वर्ष 2015 को हस्ताक्षरित कर निष्पादित किया गया।

यह कि विकासकार्य एकरारनामा लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के कथनानुसार तैयार किया गया है जिसे दोनो पक्ष खुद पढ़कर वो पढ़वाकर सुन समझ लिये वो सही पाकर अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिये है।

हस्ताक्षर लेख्यकारीगण प्रथम पक्ष

मोला राय
ता. 28-12-2014

सुलेखा कुमारी
28-12-14

शोभा देवी
28-12-14

मंजु देवी
29-12-15

नागेन्द्र कुमार
29/12/15.

हस्ताक्षर लेख्यधारी द्वितीय पक्ष

Kiran Buildtech Pvt. Ltd.
Kumar Aman
29/12/15
Managing Director

नागेन्द्र कुमार
29/12/15

हस्तालेख जाँचा
29/12/15
हस्ताक्षर

प्राख्य दर्ता
बद्रीलाल लाल नं 61/02
दानापुर
[illegible]
है एवं [illegible] 16 के अनुसार नं में
"मशीन लिखा सही है"
द० मो० शिव
बद्रीलाल

मोला राय
28-12-2014

हस्ताक्षर गवाहान

(1) 1. रंजन कुमार पिता
गवाहरलाल चौ०
2. जलाल पुर थाना रूपसपुर पटना
29.12.2015

(2) Amit Kumar
S/o Satyendra Lal Singh
Anand Puri, Boring Canal Road
Patna-1 29/12/15

Online Bank challan checked

Signature 29/12/15

भवन निबंधन कार्यालय
दानापुर

भू–स्वामी के हिस्से का संक्षिप्त आर्किटेक्चरल एवं स्ट्रक्चरल विवरण :–

1. फाउन्डेशन : आर0सी0सी0 पाईलिंग स्ट्रक्चरल डिजानयर के अनुसार ।
2. स्ट्रक्चर : आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर सिमेन्ट
3. सिविल वर्क : ईटवर्क सीमेंन्ट मोटर के साथ एक नम्बर ईट का प्रयोगा होगा
4. छत : आर0सी0सी0
5. फर्श : मार्बल टाईल्स राजस्थान के मकराना का
6. प्लास्टर : दिवाल–सीमेन्ट मोर्टार 1.6 सीलिंग सीमेन्ट मोर्टार 1.4
7. दरवाजा : हार्डउड लकड़ी का चौखट, 32 मी0मी0 मोटा फैक्ट्री से निर्मित फ्लश डोर पैनल प्राइमर तीन कोट पेंट सहित ।
8. खिड़की : लकड़ी, चौखट सखुआ का एवं गम्हार का पल्ला जिसमें शीशा लगा हुआ है ।
9. रसोई घर : मार्वल का वर्किंग प्लेटफार्म स्टील सिंक तथा दीवान में 24 इंच ग्लेज्ड टाईल्स ।
10. बाथरूम : दिवाल में 7 फीट डोर लेवल ग्लेज्ड टाईल्स तथा सतह में मार्बल फ्लोरिंग ।
11. विधुत वायरिंगः कॉन्सिल्ड, पी0वी0सी0 कॉन्डयूट वायरिंग सहित स्टेन्डर्ड क्वालिटी का फिटिंग स्वीच के साथ ।
12. दीवान फिनिशिंग : अन्दर से प्लास्टर ऑफ पेरिस/बालपुटी ।
13. टी0 भी0 प्वाइन्ट : सभी फ्लैट में एक प्वाइन्ट ।
14. टेलीफोन प्वाइन्ट : सभी फ्लैट में एक प्वाइन्ट ।
15. सीवेज : सीवेज डिजाईन के अनुसार उपर्यूक्त व्यवस्था के साथ ।
16. जेनरेटर एवं इंटरकॉमः जेनरेटर एवं इंटरकॉम का प्रावधान होगा ।
17. लिफ्ट : लिफ्ट स्टैण्डर्ड कम्पनी का होगा ।
18. जल आपूर्ति : जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वतंत्र बोरिंग के द्वारा करेगें ।
19. एसी का प्वाइट सभी बेड रूम तथा खिड़की में एवं विजली का प्वाइंट का प्राबधान किया जायेगा ।

Kiran Buildtech Pvt. Ltd.
Managing Director

अंदर मो0---------- शब्दों में (रू0----------) मात्र

चतुर्थ प्रति **(4)**

(जमाकर्त्ता हेतु)

बिहार सरकार

निबंधन विभाग

Value- 1,48,19000/- गैर मानक Stamp 1000/-

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंध शुल्क के

भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम /पता---Kiran Buildtech Pvt. Ltd. M.D. Kumar Aman S/o Satyendra Kumar Singh At Anandpuri, Patna.

(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है)----------

2. दस्तावेज का प्रकार---Development Agreement----------

3. निबंधन कार्यालय---Danapur----------

4. बैंक का नाम एवं शाखा---S.B.I. Danapur----------

5. भुगतान की जानेवाली राशी का विवरण :

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क अन्य उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई -75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड -R0030021030001, A/c No.-10963226587	2,84,380/-	2,84,380/-
निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष -104- दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष -0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड - R0030031040001, A/c No.-10963226576	20,000/-	20,000/-
भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष -0029- भू राजस्व लघु शीर्ष -800- अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष -0008- अन्य मदें - प्राथमिक इकाई -75 49 भूमि निबंधन शुल्क से अन्य विपत्र कोड- R0029008000006, A/c No.-10963226598	/	/

भुगतान का माध्यम : नगद/ चेक/ ड्राफ्ट कुल योग 3,04,380=00

कुल राशि शब्दों में ---Three Lacs Four thousand three hundred eighty Rs Only----------

स्थान---Danapur

तारीख---21/12/2015

Kiran Buildtech Pvt. Ltd.
Kumar Aman
Managing Director

जमाकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

• चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।

• चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी

FOR USE OF THE BANK

स्क्रॉल नं0 ----------तारीख ----------उपर्युक्त कालम

संख्या 05 में दिये गए विवरण के अनुसार रू0 ----------/ शब्दों में----------

रूपये प्राप्त किया

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन हेतु सर्विस चार्ज जमाकर्त्ता का विवरण

एस्को लेखा सं0 : A/c No. 30978446198

जमा करने की तिथि :

बैंक स्क्रॉल सं0: ----------

बैंक की प्राप्ति एवं मुहर

• (दस्तावेज के पृष्ठ की संख्या +2)X रू0 25/-

3,04,380
550
3,04,930

Scanned by CamScanner

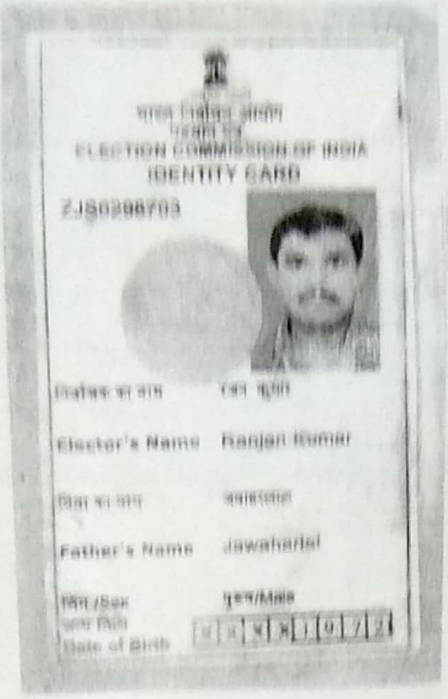



पहचान
रंजन कुमार
29.12.2015

13/2/16

अवर निबंधन कार्यालय
दानापुर (पटना)

Scanned by CamScanner

Endorsement of Certificate of Admissibility

ible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian mp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 285380/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 304930/-

Registration Fee

FEE PAID												
	A1	19000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0		
	A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0		
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0			TOTAL-	20000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	550
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20550

Registering Officer
Danapur

Date: 29/12/2015

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Tuesday, 29th December 2015 by Bhola Rai S/O Sri Deo Lal Rai by profession Others. Status - Executant

Registering Officer
Danapur

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:29/12/2015**

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Ranjan Kumar' age '43' Sex 'M', 'S/O Jawahar Lal', resident of 'Jalalpur, Rupaspur, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Danapur

Date : 29/12/2015

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 267 on pages on 332 -351 , for the year 2015 and stored in CD volume No. CD-42 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

अवर निबंधन पदाधिकारी दानापुर (पटना)

Registering Officer
Danapur

Date : 29/12/2015

Token No. : 13726 Year : 2015 S.No. : 13624 SCORE Ver.3.0 Deed No . : 13349

Scanned by:.....

Checked by

Scanned by CamScanner

Sub District Registry Office,Danapur

Token Number 13726 | Reg. Year 2015 | Serial Number 13624 | Deed Number 1334

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Kumar Aman						
Sig.	Kiran Buildtech Pvt. Ltd. Kumar Aman 29/12/15 Managing Director						
Presented By	Bhola Rai						
Sig.	भोला राय 29-12-2015						
Executant	Bhola Rai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sig.	भोला राय 29-12-2015						
Executant	Manju Devi						
Sig.	मंजु देवी 29-12-2015						
Executant	Nagendra Kumar						
Sig.	नागेन्द्र कुमार 29-12-2015.						
Executant	Shobha Devi						
Sig.	शोभा देवी 29.12.2015						
Executant	Sulekha Kumari						
Sig.	सुलेखा कुमारी 29-12-2015						
Identified By	Ranjan Kumar	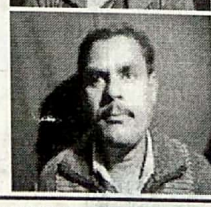					
Sig.	रंजन कुमार 29.12.2015						

SCORE Ver.3.0 | Powered by InfoSystem and Solutions,Patna | Biometric Captured By 2802sop007

Scanned by CamScanner